भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 1415

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु निधि

1415. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का देश में, विशेषकर संभाजीनगर सहित महाराष्ट्र और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के राष्ट्रीय राजमार्गों में विलंबित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और इसके लिए निधि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब से बचने और भविष्य में निधि का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस उपाय करने का भी विचार है और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के संबंध में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं, का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) परियोजना कार्यान्वयन में देरी मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, मिट्टी/रेती की अनुपलब्धता, पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, आरओबी और आरयूबी मुद्दे, संविदा संबंधी मुद्दे आदि के कारण होती है।

सरकार ने महाराष्ट्र में संभाजीनगर और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित देशभर में परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर डीपीआर तैयार करने सहित अनिवार्य परियोजना नियोजन
ii. भूमि अधिग्रहण (एलए) और निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को सौंपना
iii. एलए प्रक्रिया एवं पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करना
iv. रेलवे द्वारा जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग) के अनुमोदन की सरल प्रक्रिया
v. परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाकर संविदाकार परितंत्र को बढ़ावा देना
vi. विवाद समाधान कार्य तंत्र का सुधार
vii. चल निधि/ नकदी में सुधार के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट
viii. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा

निधियों का आवंटन परियोजना-वार न करके परियोजना की प्रगति और उसके बाद व्यय की गति के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किया जाता है। सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बजटीय परिव्यय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुबंध

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु निधि" के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं :-

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.12.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	6,618	6,618	4,281	4,281	5,890	5,890	6,957	6,957	11,440	11,440	8,844	7,833
2	अरुणाचल प्रदेश	1,710	1,710	2,512	2,512	2,718	2,718	3,140	3,140	2,649	2,649	3,295	1,836
3	असम	2,436	2,436	3,753	3,753	3,150	3,150	4,557	4,557	9,137	9,137	4,604	4,329
4	बिहार	4,392	4,392	6,716	6,716	9,174	9,174	9,347	9,347	10,749	10,749	6,159	5,599
5	छत्तीसगढ	1,653	1,653	2,224	2,224	1,936	1,936	2,468	2,468	4,255	4,255	1,328	902
6	गोवा	977	977	734	734	615	615	673	673	620	620	782	372
7	गुजरात	5,102	5,102	7,533	7,533	10,710	10,710	9,831	9,831	10,900	10,900	5,641	5,214
8	हरियाणा	6,721	6,721	10,651	10,651	7,203	7,203	3,924	3,924	6,062	6,062	2,860	2,745
9	हिमाचल प्रदेश	1,238	1,238	2,033	2,033	3,164	3,164	4,534	4,534	5,175	5,175	2,833	2,578
10	झारखंड	2,312	2,312	2,627	2,627	2,853	2,853	3,127	3,127	4,599	4,599	3,848	3,491
11	कर्नाटक	7,860	7,860	5,838	5,838	7,681	7,681	6,763	6,763	12,695	12,695	8,518	7,026
12	केरल	1,265	1,265	12,831	12,831	10,136	10,136	3,994	3,994	10,419	10,419	2,349	2,267
13	मध्य प्रदेश	6,429	6,429	8,250	8,250	9,006	9,006	6,210	6,210	7,447	7,447	5,381	4,794
14	महाराष्ट्र	24,166	24,166	20,844	20,844	18,655	18,655	18,355	18,355	19,867	19,867	14,930	12,563
15	मणिपुर	1,180	1,180	978	978	2,142	2,142	2,737	2,737	2,598	2,598	1,350	1,336
16	मेघालय	901	901	861	861	819	819	684	684	1,803	1,803	912	862

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.12.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
17	मिजोरम	1,252	1,252	1,238	1,238	2,054	2,054	3,218	3,218	2,189	2,189	989	927
18	नागालैंड	1,003	1,003	2,382	2,382	1,943	1,943	1,666	1,666	1,414	1,414	1,117	932
19	ओडिशा	3,355	3,355	5,336	5,336	4,510	4,510	4,643	4,643	5,948	5,948	4,555	3,818
20	पंजाब	2,777	2,777	3,301	3,301	7,179	7,179	10,093	10,093	12,419	12,419	6,656	6,255
21	राजस्थान	6,515	6,515	7,340	7,340	11,353	11,353	9,719	9,719	8,874	8,874	4,997	4,481
22	सिक्किम	286	286	1,053	1,053	811	811	1,008	1,008	684	684	335	286
23	तमिलनाडु	5,757	5,757	4,868	4,868	4,305	4,305	8,230	8,230	9,925	9,925	6,544	6,064
24	तेलंगाना	3,048	3,048	2,907	2,907	3,458	3,458	3,622	3,622	6,117	6,117	6,325	5,336
25	त्रिपुरा	175	175	1,026	1,026	1,085	1,085	1,156	1,156	1,546	1,546	459	444
26	उत्तर प्रदेश	13,375	13,375	18,768	18,768	13,944	13,944	21,453	21,453	28,114	28,114	15,598	13,378
27	उत्तराखंड	2,940	2,940	2,800	2,800	2,112	2,112	3,219	3,219	4,545	4,545	3,049	2,628
28	पश्चिम बंगाल	2,665	2,665	2,658	2,658	3,642	3,642	3,053	3,053	3,543	3,543	1,847	1,355
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	267	267	349	349	246	246	143	143	96	96	111	111
30	चंडीगढ़	0	0	2	2	6	6	1	1	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	43	43	30	30	26	26	2	2	100	3
32	दमन और दीव	0	0										
33	दिल्ली/ मुख्यालय	-743	-743	-1,482	-1,482	3,961	3,961	7,164	7,164	3,223	3,223	2,284	2,265
34	जम्मू और कश्मीर	2,256	2,256	2,932	2,932	6,817	6,817	7,370	7,370	10,528	10,528	7,044	6,421
35	लद्दाख	0	0	24	24	352	352	574	574	658	658	697	646
36	पुदुचेरी	1	1	21	21	1	1	61	61	35	35	28	20

वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सामने ऋणात्मक आंकड़ा उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परियोजना/व्यय के अंतरण को दर्शाता है।

*****